भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2020/ईआरबी-IV/12/2/एक्स.इंडिया — नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 2020

परिपत्र

कृपया बोर्ड के दिनांक 16.03.2020 के समसंख्यक परिपत्र का अवलोकन करें जो विदेशों से लौटे कर्मचारियों को 14 दिनों के लिए घर में पृथक रहने के बारे में है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के परिवार के सदस्य (उनके घर में ही उनके साथ रहने वाले सदस्य) जो कि विदेश से लौटे हैं, वे भी विदेशों से वापस पहुंचने की तारीख से लेकर 14 दिन की अवधि के लिए स्वैच्छिक रूप से घर में पृथक रूप से रहें।

2 इसके साथ-साथ, परिवार के सदस्यों के मामलों में (उनके घर में ही उनके साथ रहने वाले सदस्य) चाहे वे विदेश यात्रा में गए हों अथवा नहीं, आशंका है कि उनमें कोविड-19 की बीमारी के लक्षण हैं/पीड़ित हो सकते हैं, ऐसे कर्मचारी 14 दिन की अवधि के लिए स्वैच्छिक रूप से घर में पृथक रूप से रहें और यदि अपेक्षित हो तो इस अवधि से आगे भी पृथक्करण को जारी रखें जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य अनुदेश जारी किए गए हैं।

3 अत्यधिक सावधानी के मद्देनज़र, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यालय में ड्यूटी के लिए तभी आएं जब वे और/उनके परिवार के सदस्य (उनके घर में ही उनके साथ रहने वाले सदस्य) कोविड-19 के लक्षणों/बीमारी से पूरी तरह मुक्त हों।

4. बोर्ड के दिनांक 16.03.2020 के पूर्व के समसंख्यक परिपत्र के पैरा-2 के अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित विषय में यदि कोई भ्रामक जानकारी दी गई अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई तो ऐसी घटनाओं को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा।

ए. तिर्की
19/3/20
(एलिस आर. तिर्की)
अवर सचिव (प्रशासन)-III

रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी,
मेट्रो भवन, प्रगति मैदान, एनआरएम और दयाबस्ती